

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 122/

रीवा, दिनांक 30/04/2025

/दो-15-3/90

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/3171/(NDPS)/III-6-3/89 जबलपुर दिनांक-29.04.2025 के द्वारा श्री सुधीर सिंह ठाकुर, 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को विशेष न्यायाधीश, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर का अधिसूचना क्रमांक-बी/1951 जबलपुर दिनांक-23.04.2025 के द्वारा श्रीमती पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम-2012 से संबंधित प्रकरणों की सनुवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/3171/(NDPS)/III-6-3/89 जबलपुर दिनांक-29.04.2025 एवं अधिसूचना क्रमांक-बी/1951 जबलपुर दिनांक-23.04.2025 के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित प्राप्त सूची अनुसार दांडिक प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. SC NDPS No. 01 to 419 2. ST No. 420 3. MJCR No. 01 to 136 4. अपजीकृत रिमाण्ड पत्रावली (चालू रिमाण्ड) क्र- 01 से 15 5. अपजीकृत रिमाण्ड पत्रावली क्र- 01 से 20 एवं क्र-01 से 03 6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हेतु संधारित प्रपत्र अपजीकृत क्र- 01 से 53	श्री सुधीर सिंह ठाकुर, 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2.	12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. SC No. 01 to 104 2. CRA No. 01 to 02 3. ST No. 01 to 02 4. MJCR No. 01 to 97	श्रीमती पद्मा जाटव, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0).

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र० 2179 /
/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 30/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ / 09वें / 12वें एवं 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
4. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)